स्थायी निर्देश
क.30/2013

कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छत्तीसगढ़, रायपुर

कमांक/वाक/डायरी/2013/ 10612 रायपुर, दिनांक30/12/2013

प्रति,

समस्त अपर आयुक्त,
समस्त उपायुक्त,
समस्त सहायक आयुक्त,
समस्त वाणिज्यिक कर अधिकारी,
समस्त सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
समस्त वाणिज्यिक कर निरीक्षक,
वाणिज्यिक कर, छत्तीसगढ़

विषयः– पंजीयन जारी करने के पूर्व वाणिज्यिक कर निरीक्षक/सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा स्थल सत्यापन की आवश्यकता समाप्त करना एवं दो व्यवसाइयों के सत्यापन की अनिवार्यता लागू करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भः– इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र कमांक–5781, दिनांक 27.07.2013 (स्थायी निर्देश कमाकं–15/2013)।

––000––

नए व्यवसाईयों द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर आगामी कार्यवाही किए जाने संबंधी हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश समय–समय पर इस कार्यालय द्वारा जारी किए गए हैं। इसी अनुक्रम में संदर्भित पत्र से पंजीयन जारी करने के पूर्व प्रकिया पालन संबंधी निर्देश जारी किए गए थे। पंजीयन जारी किए जाने, संशोधित करने एवं निरस्त करने के आदेश सहायक आयुक्त को प्रत्यायोजित किए गए थे, इसे आदेश कमांक–428, दिनांक 28.12.2013 द्वारा वापस लिया जाकर ये शक्तियां पुनः वाणिज्यिक कर अधिकारी को दी गई हैं।

वर्तमान में जारी प्रकिया के अंतर्गत व्यवसायी द्वारा संबंधित वृत्त में ऑन–लाईन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् व्यवसाय स्थल सत्यापन हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक कर निरीक्षक अथवा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी को ज्ञापन जारी कर निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। प्रतिवेदन तथा अन्य समर्थित दस्तावेजों के प्राप्त होने पर वाणिज्यिक कर अधिकारी/सहायक आयुक्त द्वारा व्यवसायी को ऑन–लाईन पंजीयन जारी किया जाता है।

विभाग द्वारा व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से व व्यापारियों की सुगमता के लिए हाल ही में आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में संशोधन किया जाकर आवेदन के साथ समर्थित आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर ऑन–लाईन प्रस्तुत किए जाने की सुविधा दी गई है। अब इस प्रक्रिया में पुनः सरलीकरण करते हुए संशोधन के निर्देश दिए जाते हैं:–

- व्यवसायी द्वारा ऑन–लाईन पंजीयन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा इसका परीक्षण किया जाएगा कि व्यवसायी द्वारा पंजीयन आवेदन के साथ आवश्यक समर्थित दस्तावेज संलग्न किए गए हैं अथवा नहीं।
- संदर्भित पत्र के बिन्दु कमांक–3 में स्थल निरीक्षण के समय जिन दस्तावेजों के सत्यापन हेतु निर्देश दिए गए थे, उन्हें व्यवसायी से ऑन–लाईन प्राप्त किए जाए। संबंधित दस्तावेज प्राप्त होने पर इनका सत्यापन स्वयं के स्तर पर किया जाए।
- दो पंजीयत व्यवसाईयों द्वारा दिए गए पहचान प्रमाण–पत्र का सत्यापन कि वे नियमित व्यवसाई हैं, अथवा बोगस, बेनामी या डिफॉल्टर व्यवसाई तो नहीं हैं। साथ ही वाणिज्यिक कर विभाग में कम से कम 2 वर्ष पुराने नियमित पंजीयत व्यवसाई होना चाहिए, इसे विशेष रूप से कम्प्यूटर विवरण से सत्यापन कर लिया जाए।
- दस्तावेजों के सत्यापन हेतु वाणिज्यिक कर निरीक्षक/सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के द्वारा व्यवसाय स्थल का सत्यापन अथवा निरीक्षण नहीं किया जाएगा और न ही इस संबंध में बयान के लिए व्यवसाई को कार्यालय में बुलाया जाएगा।
- प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात् सही पाए जाने पर व्यवसायी को वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा ऑन–लाईन पंजीयन निर्धारित समयावधि के भीतर जारी किया जाए।
- पंजीयन जारी करने के पश्चात् वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा संबंधित व्यवसायी की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए, कि उनके द्वारा समय से त्रैमासिक विवरण–पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं एवं कर का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। इसका पालन नहीं करने की स्थिति में वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत व्यवसाई के विरूद्ध कार्यवाही की जाए।

वाणिज्यिक कर अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यवसायी को पंजीयन जारी करने की प्रक्रिया में कार्यालय आहूत नहीं किया जाए। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार प्रस्तुत जानकारी के संबंध में व्यवसायी से नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित हलफ़नामा प्राप्त किया जाए। दस्तावेजों की प्रमाणिकता के बारे में व्यवसायी ही जिम्मेदार होगा।